Skilled Workers Export Council

5337. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whehter Government have since decided to constitue a "Skilled Workers Export Council" for sending skilled workers and other professionals of Indian origin to foreign countries;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) by when this council is likely to be const'tuted ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) to (c) The matter is under consideration of the Government

बाल श्रमिकों के लाभार्थ कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

5338. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों के लाभार्थ कार्योन्मुख परियोजना आरम्भ करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के जिलेवार नाम क्या हैं; और

(ग) इन संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड हैं और इस संबंध में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों के लाभ के लिए कार्रवाई उन्मुख परियोजनाएं संचालित करने के लिए निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है :—

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

1. सघन क्षेत्र विकास समिति, सेवा पुरी, उत्तर प्रदेश ।

2. ग्रामीण शिक्षा एवं विकास कार्रवाई केन्द्र, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश ।

3. भारतीय बाल कल्याण परिषद्, फिरोजपुर, उत्तर प्रदेश ।

4. भारतीय बाल कल्याण परिषद्, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।

5. भारतीय बाल कल्याण परिषद्, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।

सहायता-अनुदान योजनाएं

1. श्रमिक विकास सेवा आश्रम, चक, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में अपनाए गए मानदण्डों के अन्तर्गत अपेक्षित है कि अन्य बातों के साथ-साथ संगठन का एक वैधानिक अस्तित्व, जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुसंसित किया गया हो, उसमें एक सुदृढ वित्तीय स्थिति के साथ उसका तीन वर्षों के कार्य का अनुभव हो और संदर्भाधीन परियोजना को संचालित करने का अनुभव हो ।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत श्रम मंत्रालय द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । सहायता-अनुदान योजना के अन्तर्गत लागत के 75% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।